न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
58 / 2021	17.09.2021	07.01.2025

पीठासीन अधिकारी – दमयन्ती कंवर (R.A.S.)

हरि सिंह पुत्र स्व.लादूराम उम्र 78 साल निवासी ग्राम ताजसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर ।
2. पटवारी हल्का, बलोद छोटी तहसील फतेहपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खातेदारी संशोधन / उदघोषणा

उपस्थित अधिवक्ता

श्री महेश चोधरी – वादी

निर्णय

दिनांकः– 07.01.2025

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 679 रकबा 3.11 हैक्टर में वादी का सम्पूर्ण हिस्सा है उपरोक्त कृशि भूमि वाके ग्राम बलोदी बड़ी व पटवार हल्का बलोद छोटी तहसील फतेहपुर जिला सीकर में अवस्थित है जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से जाना जायेगा। विवादित काश्त भूमि का खाता 418 पुराना नया 401 खसरा नम्बर 679 रकबा 3.11 हैक्टर की जमाबन्दी में वादी का नाम हरि सिंह पुत्र टोड़ा के नाम से खाता बना हुआ है।

वादी हरि सिंह पुत्र टोड़ा के नाम से खाता बना हुआ है जिसमें वादी के पिताजी टोडा नाऔलाद फौत हो जाने के कारण जिसमें वादी एक मात्र प्रथम श्रेणी का उतराधिकारी होने के कारण उसमें उदघोषणा कर वादी का नाम हरि सिंह पुत्र लादूराम के नाम उक्त दावा में वादी को उदघोषणा किया ज[illegible] राजस्व रिकॉर्ड के अभिलेख में वादी का नाम हरि सिंह पुत्र लादूराम के नाम से संशोधित किया [illegible]चित है।

वादी का नाम उपरोक्त कृषि भूमि मे[illegible] हानी हो रही है। वादी ने प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड [illegible] भूमि के खाते में उदघोषणा करवाने के लिए कई बार निवेदन किया लेकिन प्रतिवा[illegible]ण ने इस बात को टालमटोल करते है। दिनांक 10 / 07 / 2023 को वादी ने उदघोषणा करने के लिए राजस्व अधिकारी ने मना कर दिया। तब वादी को वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.01.28 12:50:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

वादी का वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है तथा उक्त वाद पत्र 2/– न्यायशुल्क पर सादर पेश है।

वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जावे वाद पत्र की मद संख्या 2 अंकित कृषि भूमि खसरा नम्बर 679 रकबा 3.11 है. वादी का सम्पूर्ण हिस्सा है जिसमें वादी का नाम हरि सिंह पुत्र टोडा है जिससे वादी को उदघोषणा कर हरि सिंह पुत्र लादूराम किया जाना नयायोचित है।

मिसल मूर्तिव की जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1, 2 बावजूद सूचना हाजिर नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में तहसीलदार रामगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार रामगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील वादी की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली एवं तहसीलदार रामगढ़ से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का भली भांति अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 679 रकबा 3.11 है. में वादी का नाम हरि सिंह पुत्र टोडा के स्थान पर हरि सिंह पुत्र लादूराम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करेंगे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पर्चा डिकी जारी हो।

(दमयन्ती कुंवर)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.01.28 12:50:02 IST
Reason: SelfAttested